रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102023-249637 CG-DL-E-23102023-249637

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4438]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 20, 2023/आश्विन 28, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 2023/ASVINA 28, 1945

No. 4438]

## विद्युत मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4617(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ढ) और (भ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, ऊर्जा या फीडस्टॉक के रूप में अभिहित उपभोक्ताओं द्वारा गैर-जीवाश्म स्रोतों (नवीकरणीय ऊर्जा) के उपभोग का न्यूनतम हिस्सा तथा अनुज्ञप्तिधारी विद्युत वितरण के संबंध में विभिन्न अभिहित उपभोक्ताओं के लिए गैर-ज्ञीवाश्म स्रोतों के विभिन्न प्रकारों के उपभोग का भिन्न हिस्सा और अन्य अभिहित उपभोक्ता जैसे निर्बाध पहुंच वाले उपभोक्ता या आबद्ध उपयोगकर्ता जो उसके विस्तार तक अनुज्ञप्तिधारी वितरण से भिन्न अन्य स्रोतों से बिजली का उपभोग करते हैं, निम्न सारणी उनकी कुल इंगित ऊर्जा उपभोग के हिस्से के प्रतिशत को, विनिर्दिष्ट करती है

#### सारणी

| क्र .सं. | वर्ष    | पवन<br>नवीकरणीय<br>ऊर्जा | जल नवीकरणीय<br>ऊर्जा | वितरित नवीकरणीय ऊर्जा* | अन्य<br>नवीकरणीय<br>ऊर्जा | कुल<br>नवीकरणीय<br>ऊर्जा |
|----------|---------|--------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| (1)      | (2)     | (3)                      | (4)                  | (5)                    | (6)                       | (7)                      |
| 1.       | 2024-25 | 0.67%                    | 0.38%                | 1.50%                  | 27.35%                    | 29.91%                   |
| 2.       | 2025-26 | 1.45%                    | 1.22%                | 2.10%                  | 28.24%                    | 33.01%                   |
| 3.       | 2026-27 | 1.97%                    | 1.34%                | 2.70%                  | 29.94%                    | 35.95%                   |

6709 GI/2023 (1)

| 4. | 2027-28 | 2.45% | 1.42% | 3.30% | 31.64% | 38.81% |
|----|---------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 5. | 2028-29 | 2.95% | 1.42% | 3.90% | 33.10% | 41.36% |
| 6. | 2029-30 | 3.48% | 1.33% | 4.50% | 34.02% | 43.33% |

- टिप्पण 1: \* पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा घटक सारणी में दिए गए का आधा होगा और इन राज्यों का शेष घटक अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सम्मिलित किया जाएगा।
- टिप्पण 2: पवन नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति 31 मार्च, 2024 के पश्चात् आरंभ की गई पवन ऊर्जा परियोजनाओं (डब्ल्यूपीपी) से उत्पन्न ऊर्जा से की जाएगी।
- टिप्पण 3: जल नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति 31 मार्च, 2024 के पश्चात् आरंभ की गई जल विद्युत परियोजनाएं [जिसके अंतर्गत पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) और लघु जल विद्युत परियोजनाएं (एसएचपी) भी हैं] से उत्पन्न ऊर्जा से की जाएगी:

परंतु, यह कि, जल नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति 31 मार्च, 2024 के पश्चात् आरंभ की गई जल विद्युत परियोजनाओं से राज्य/डिस्कॉम को प्रदान की जा रही नि:शुल्क बिजली से भी पूरी की जा सकती है:

परंतु, यह और कि, जल नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति भारत से बाहर स्थित जल विद्युत परियोजनाओं से भी पूरी की जा सकती है, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अलगअलग मामले के - आधार पर अनुमोदित किया जाए।

टिप्पण 4: वितरित नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति केवल 10 मेगावाट से कम आकार की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा से पूरी की जाएगी और इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सौर संस्थापना के अधीन सभी कॉन्फ़िगरेशन (नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग, ग्रूप नेट मीटरिंग, मीटर स्थापना और किसी अन्य कॉन्फ़िगरेशन के पीछे) सम्मिलित होंगी।:

परंतु, यह कि वितरित नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में अनुपालन को सामान्यत: ऊर्जा (किलोवाट घंटा इकाइयों) के निबंधनों के अनुसार माना जाएगा:

परंतु, यह और कि अभिहित उपभोक्ता की दशा में वितरित नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापनों के संबंध में उत्पादन डाटा प्रदान करने में असमर्थ है, तो रिपोर्ट की गई क्षमता को, प्रति दिन 3.5 यूनिट प्रति किलोवाट (किलोवाट घंटा/किलोवाट/) के गुणक द्वारा ऊर्जा के निबंधनों अनुसार वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तित किया जाएगा।

- टिप्पण 5: अन्य नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति टिप्पण 2, 3 और 4 में विनिर्दिष्ट से भिन्न किसी भी नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजना से उत्पन्न ऊर्जा से पूरी की जा सकती है और 1 अप्रैल, 2024 से पूर्व आरंभ हुई सभी डब्ल्यूपीपी और जल विद्युत परियोजनाएं [जिसके अंतर्गत पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) और लघु जल विद्युत परियोजनाएं (एसएचपी) हैं] ऊर्जा समाविष्ट करेगा, जिनमें नि:शुल्क बिजली भी शामिल है।
- 2. किसी विशिष्ट वर्ष में अनुबद्ध पवन नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग की उपलब्धि में किसी भी कमी को जल नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा किया जा सकता है, जो उस वर्ष के लिए और विपर्ययेन उस ऊर्जा घटक से अधिक है।
- 3. उस वर्ष में पवन नवीकरणीय ऊर्जा या जल नवीकरणीय ऊर्जा घटक के अधीन अतिशेष अधिक ऊर्जा उपभोग को अन्य नवीकरणीय ऊर्जा घटक का हिस्सा माना जा सकता है।
- 4. किसी विशिष्ट वर्ष में अन्य नवीकरणीय ऊर्जा घटक के अधीन किसी भी अधिक ऊर्जा उपभोग का उपयोग, अनुबद्ध पवन नवीकरणीय ऊर्जा या जल नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग की उपलब्धि में कमी को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

- 5. अभिहितउपभोक्ता, जो निर्बाध या आबद्ध विद्युत संयंत्र वाले उपभोक्ता हैं, गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोत के बावजूद विनिर्दिष्ट कुल नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के अनुसार उनकी बाध्यताओं को पूरा करेंगे।
- 6. विनिर्दिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग लक्ष्यों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खण्ड 4, तारीख 24 मई, 2022: में प्रकाशित, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2022 के अनुसार सीधे या प्रमाणपत्र के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

परंतु, यह कि विनिर्दिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग लक्ष्यों में किसी भी कमी को अननुपालन माना जाएगा और उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट ऐसी दर पर शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

- 7. ब्यूरो अभिहित उपभोक्ताओं द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग के अनुपालन से संबंधित डाटा अनुरक्षित करेगा और केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- 8. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2024 को प्रवृत होगी और उस समय तक, विद्युत मंत्रालय के तारीख 19 सितम्बर, 2022 के शुद्धिपत्र के साथ पठित, आदेश संख्या 9/13/2021-आरसीएम, तारीख 22 जुलाई, 2022,के पैरा 5 से 14 में विनिर्दिष्ट आरपीओ प्रक्षेपवक्र लागू रहेगा।

[फा. सं. 9/13/2021-आरसीएम] अजय तिवारी, अपर सचिव

# MINISTRY OF POWER NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2023

**S.O. 4617(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (*n*) and (*x*) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the minimum share of consumption of non-fossil sources (renewable energy) by designated consumers as energy or feedstock and different share of consumption for different types of non-fossil sources for different designated consumers in respect of electricity distribution licensee and other designated consumers who are open access consumers or captive users to the extent of consumption of electricity from sources other than distribution licensee as a percentage of their total share of energy consumption indicated in the Table below:

#### **TABLE**

| Sl.No | Year    | Wind<br>renewable<br>energy | Hydro<br>renewable<br>energy | Distributed renewable energy* | Other<br>renewable<br>energy | Total<br>renewable<br>energy |
|-------|---------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| (1)   | (2)     | (3)                         | (4)                          | (5)                           | (6)                          | (7)                          |
| 1.    | 2024-25 | 0.67%                       | 0.38%                        | 1.50%                         | 27.35%                       | 29.91%                       |
| 2.    | 2025-26 | 1.45%                       | 1.22%                        | 2.10%                         | 28.24%                       | 33.01%                       |
| 3.    | 2026-27 | 1.97%                       | 1.34%                        | 2.70%                         | 29.94%                       | 35.95%                       |
| 4.    | 2027-28 | 2.45%                       | 1.42%                        | 3.30%                         | 31.64%                       | 38.81%                       |
| 5.    | 2028-29 | 2.95%                       | 1.42%                        | 3.90%                         | 33.10%                       | 41.36%                       |
| 6.    | 2029-30 | 3.48%                       | 1.33%                        | 4.50%                         | 34.02%                       | 43.33%                       |

Note 1: \*For hilly and North-Eastern States/Union Territories, namely Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Jammu & Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh and Uttarakhand, the distributed renewable energy component shall be half

of that given in the Table and the remaining component for these States shall be included in the other renewable energy sources.

- **Note 2:** The wind renewable energy component shall be met by energy produced from Wind Power Projects (WPPs) commissioned after the 31<sup>st</sup> March, 2024.
- **Note 3:** The hydro renewable energy component shall be met only by energy produced from Hydro Power Projects [including Pump Storage Projects (PSPs) and Small Hydro Projects (SHPs)], commissioned after the 31<sup>st</sup> March, 2024:

Provided that the hydro renewable energy component may also be met out of the free power being provided to the State/DISCOM from the Hydro Power Projects commissioned after the 31st March, 2024:

Provided further that the hydro renewable energy component may also be met from Hydro Power Projects located outside India as approved by the Central Government on a case-to-case basis.

Note 4: The distributed renewable energy component shall be met only from the energy generated from renewable energy projects that are less than 10 MW in size and shall include solar installations under all configurations (net metering, gross metering, virtual net metering, group net metering, behind the meter installations and any other configuration) notified by the Central Government:

Provided that the compliance against distributed renewable energy shall ordinarily be considered in terms of energy (Kilowatt hour units):

Provided further that in case the designated consumer is unable to provide generation data against distributed renewable energy installations, the reported capacity shall be transformed into distributed renewable energy generation in terms of energy by a multiplier of 3.5 units per kilowatt per day (kWh/kW/day).

- Note 5: The other renewable energy component may be met by energy produced from any renewable energy power project other than specified in Note 2, 3 and 4 and shall comprise energy from all WPPs and Hydro Power Projects [including Pump Storage Projects (PSPs) and Small Hydro Projects (SHPs)], including free power, commissioned before the 1<sup>st</sup> April, 2024.
- 2. Any shortfall in achievement of stipulated wind renewable energy consumption in a particular year may be met with hydro renewable energy which is in excess of that energy component for that year and viceversa.
- **3.** The balance excess energy consumption under wind renewable energy or hydro renewable energy component in that year, may be considered as part of other renewable energy component.
- **4.** Any excess energy consumption under Other renewable energy component in a particular year, may be utilised to meet the shortfall in achievement of stipulated Wind renewable energy or Hydro renewable energy consumption.
- **5.** The designated consumers who are open access consumers or consumers with Captive Power Plants shall fulfil their obligation as per the specified total renewable energy target irrespective of the non-fossil fuel source
- **6.** The specified renewable energy consumption targets shall be met either directly or through Certificate in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 24<sup>th</sup> May, 2022:

Provided that any shortfall in specified renewable energy consumption targets shall be treated as non-compliance and penalty shall be imposed as such rate specified under sub-section (3) of section 26 of the said Act.

7. The Bureau shall maintain data related to compliance of renewable energy utilisation by the designated consumer(s) and submit report to the Central Government.

**8.** This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of April, 2024 and till such time, the RPO trajectory specified in paragraphs 5 to 14 *vide* the Ministry of Power Order No. 9/13/2021-RCM, dated 22<sup>nd</sup> July, 2022 read with Corrigendum, dated the 19<sup>th</sup> September, 2022, shall remain in force.

[F.No. 9/13/2021-RCM]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.